



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 169 राँची, मंगलवार,

15 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

7 मार्च, 2025

आदेश सं०-3/आरोप-11-25/2024 का०-1389--श्री चन्द्रदेव प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-615/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंडवा, पलामू के विरुद्ध मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-804, दिनांक 19.06.2024 के माध्यम से परिवादी श्री मुन्ना प्रसाद, पिता-कपिलदेव प्रसाद, ग्राम-झरी, पो० लामीपतरा, थाना-पण्डवा, पलामू का परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया ।

उक्त परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा श्री चन्द्रदेव प्रसाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, पण्डवा थाना में झूठा केस दर्ज करने, पत्नी के साथ बलात्कार करने, विधायक कोटे से मिले पी०सी०सी० पथ निर्माण का सही रिपोर्ट देने के लिए पचास हजार रुपये की माँग करने तथा ट्रैक्टर चलवाने के लिए पाँच हजार रुपये प्रति माह वसूलने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की जाँचकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-4544, दिनांक 10.07.2024 एवं स्मार पत्रांक-6899, दिनांक 17.10.2024 द्वारा उपायुक्त, पलामू से अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-622, दिनांक 26.12.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

समर्पित प्रतिवेदन में उपायुक्त, पलामू द्वारा उल्लेख किया गया कि श्री चन्द्रदेव प्रसाद, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पड़वा, पलामू के विरुद्ध परिवाद पत्र की जाँच अपर समाहर्ता, पलामू से करायी गयी थी। अपर समाहर्ता, पलामू के पत्रांक- 472/रा०, दिनांक 02.03.2023 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि परिवादी मुन्ना प्रसाद अवैध रूप से बालू एवं कोयला के कारोबार में संलग्न एक शातिर एवं विकृत मानसिकता का व्यक्ति है। फेसबुक/ व्हाट्सऐप पर तथ्यहीन सूचनाएँ वायरल करना तथा धरना प्रदर्शन, आत्मदाह आदि स्वांग के माध्यम से पदाधिकारियों को बदनाम कर दबाव में लेकर अपने अवैध कारोबार से ध्यान हटाने का कृत्य उसके आदत में शामिल है। जाँच के क्रम में श्री चन्द्रदेव प्रसाद के विरुद्ध सारे आरोप तथ्यहीन एवं बेबुनियाद प्रमाणित हुआ है। अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सत्य नहीं हैं।

श्री प्रसाद के विरुद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, पलामू के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री चन्द्रदेव प्रसाद, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पड़वा, पलामू के विरुद्ध प्राप्त परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
